प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0 नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2024
प्र0इ0रि0सं0.....114./2024 दिनांक 10/06/2024
(I)धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018)
(II) अधिनियम..धाराऐं ....
(III) अधिनियम..धाराऐं....................................
(IV)अन्य अधिनियम एवं धाराऐं..
2. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.....152...................समय.......06-25 pm
(ब) अपराध घटने का दिन.........................दिनांक.........................समय.......
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक..................................समय.......
3. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित
4. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी करीब
(ब) पता – ....
....बीट संख्या.............................जरायमदेही सं.
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो.........
पुलिस थाना..जिला...................................
5. परिवादी / सूचनाकर्ता :–सूत्र सूचना
(अ) नाम –
(ब) पिता / पति का नाम
(स) जन्म तिथि / वर्ष..
(द) राष्ट्रीयता..
(य) पासपोर्ट संख्या... जारी होने की तिथि..........
जारी होने की जगह...
(र) व्यवसाय...
(ल) पता –
6. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–
1. श्री भोमाराम पुत्र श्री मुखराम एडिशनल रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, जयपुर एवं प्रबंध निदेशक, दी राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक लि. डीसी–1, लालकोठी शॉपिंग सेन्टर, टोंक रोड, जयपुर निवासी डी–6 / 65 चित्रकूट कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर
2.श्रीमती सुनीता वर्मा पत्नि श्री भोमाराम, निवासी डी–6 / 65 चित्रकूट कॉलोनी,वैशाली नगर, जयपुर व अन्य
7. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :– कोई विलम्ब नही
8. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य
10. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)...
11. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाऐं) :–

महोदय,

विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी श्री **भोमाराम (मोबाईल नं0 –, PAN NUMBER -ABGPR3306K) पुत्र श्री मुखराम निवासी डी–6 / 65 चित्रकूट कॉलोनी वैशाली नगर जयपुर का रहने वाले है। संदिग्ध अधिकारी का विवाह श्रीमती सुनीता वर्मा (PAN NUMBER - ADWPV2706K)** के साथ हुआ है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं, स्वयं की पत्नी श्रीमती सुनीता वर्मा के नाम से परिसम्पतियों का कय–विकय किया जाना विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है। **संदिग्ध अधिकारी के एक पुत्र खेताशुं व पुत्री डेताशा है,** संदिग्ध

अधिकारी द्वारा अपने पुत्र एवं पुत्री को जयपुर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों से शिक्षा दिलवाया जाना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी सहित सात बहिन व भाई है जिनमें एक बहिन व 6 भाई है। गोपनीय सत्यापन से संदिग्ध अधिकारी की पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य एवं आम शोहरत आम जनता के बीच में भ्रष्ट अधिकारी के रूप में होना विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है।

संदिग्ध अधिकारी की **प्रथम नियुक्ति दिनांक 15.01.1996 में सहायक निदेशक सहकारिता** के पद पर में हुई तथा तथा वर्तमान में **एडिशनल रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर हाल प्रबन्ध निदेशक,** दी राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक लि. डीसी–1, लालकोठी शॉपिंग सेन्टर, टोंक रोड, जयपुर **के पद पर कार्यरत है।** संदिग्ध अधिकारी ने अपने सेवाकाल में विभिन्न क्षेत्रों की महत्वपूर्ण लोकेशन्स में परिसम्पत्तियों के रूप में निवेश किया जाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है, जिनमें प्रमुख रूप से **जयपुर शहर मे कई आवासीय प्लॉटस (वैशालीनगर, महला मौजमाबाद, खीवसर (नागौर) में पेट्रोल पम्प व वाणिज्य भवन आदि हैं। इसके अलावा संदिग्ध अधिकारी व उसके भाई, बहिन एवं माता के नाम खाता संख्या 99 में 0.40 हैक्टेयर में से एस.ओ का 1/8 हिस्सा व खाता संख्या 128 में 6.94 हैक्टैयर में से 1/56 हिस्सा एस.ओ के नाम पैतृक कृषि भूमि एवं एक शामिलाती दो मंजिला पैतृक मकान है जिसमें भी एस.ओ का हिस्सा है**

इसके अतिरिक्त संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी पत्नी के बैंक खातों से पैसों का लेन–देन करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है साथ ही संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बैंक, एचडीएफसी बैंक के बचत खातों एवं बैक ऑफ बडोदा, आईसीआईसीआई बैंक के बचत खाते में लाखों रूपये ट्रांसफर किये जाना ज्ञात हुआ है।

इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी अज्ञात स्त्रोतों से अर्जित आय को ज्ञात स्त्रोंत में बदलने हेतु करोडों रूपये प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से एकत्रित करना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी एवं उसकी पत्नि द्वारा अर्जित वैध आय, खर्च एवं अर्जित परिसम्पत्तियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

संदिग्ध अधिकारी श्री भोमाराम द्वारा राजकीय सेवा में आने से पूर्व अर्जित परिसम्पितियों का शून्य होना ज्ञात हुआ है जो परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

संदिग्ध अधिकारी श्री भोमाराम पुत्र श्री मुखराम एडिशनल रजिस्ट्रार, एवं प्रबन्ध निदेशक दी राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक लि. डीसी–1, लालकोठी शॉपिंग सेन्टर, टोंक रोड, सहकारिता विभाग जयपुर की चैक पिरियड (सेवाकाल) से पूर्व अर्जित परिसम्पत्तियां:–

क्र सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1	शून्य	शून्य

परिशिष्ट "ब"

संदिग्ध अधिकारी श्री भोमाराम पुत्र श्री मुखराम एडिशनल रजिस्ट्रार,एवं प्रबन्ध निदेशक, दी राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक लि. डीसी–1, लालकोठी शॉपिंग सेन्टर, टोंक रोड, सहकारिता विभाग जयपुर की चैक पिरीयड वर्ष 1996 से अब तक अर्जित परिसम्पत्तियां:–

क्र सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1.	संदिग्ध अधिकारी श्री भोमाराम व पत्नि श्रीमती सुनीता वर्मा के नाम से संयुक्त खसरा नं 950/78 व खसरा नं 1021/78 गांव लालवास तहसील खींवसर जिला नागौर में होकर दिनांक 26.10.2004 को जरिये रजिस्ट्री 25,000 रूपये मे खरीदना ज्ञात हुआ है, उक्त भूखण्ड की स्टाम्प डयुटी व अन्य खर्च के रूप में 1450 रूपये खर्च करना ज्ञात हुआ है जिस पर कुल 26450 रूपये व्यय करने का अनुमान है। जिस पर खसरा नं 1021/78 कों वाणिज्य में रूपान्तरित कर श्रीत्रिपुरा फिलिंग स्टेशन के नाम से पेट्रोल पम्प संचालित है शेष खसरा नं 950/78 में दो मंजिला कामर्शियल दुकानें व दूसरी मंजिल पर फलेट बना	45,86,450/–रूपये

	होना ज्ञात हुआ है जिनका कुल क्षेत्रफल 3800 वर्गफीट में निर्माणाधीन होना ज्ञात हुआ है, जिस पर 3800X1400= 45,60,000 रूपये व्यय होने का अनुमान है। उक्त दोनो खसरों पर कुल खर्च के रूप में 45,86,450 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	
2.	संदिग्ध अधिकारी श्री भोमाराम व पत्नि श्रीमती सुनीता वर्मा के नाम से एक संयुक्त भूखण्ड़ संख्या डी–6/65 सेक्टर नं 6 में स्थित बालाजी रेजिडेन्सी में एक ग्राउण्ड फ्लोर पर फ्लैट दिनांक 20.12.2006 को जरिये रजिस्ट्री 15,00,000 रूपये मे खरीदना ज्ञात हुआ है व उक्त भूखण्ड की स्टाम्प डयूटी व अन्य खर्च के रूप मे 1,11,700 रूपये खर्च करना ज्ञात हुआ है, जिस पर कुल 16,11,700 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	16,11,700/– रूपये
3	संदिग्ध अधिकारी भोमाराम के नाम एक प्लाट रोहिणी–2 में 208 वर्गमीटर का होकर वर्ष 2008 में डीएलसी दर 1000 रूपये प्रति वर्गमीटर होकर लगभग 208X1000=2,08,000 रूपये में खरीदना ज्ञात हुआ है। उक्त प्लाट पर रजिस्ट्री व अन्य खर्च के रूप में 24,450 होने का अनुमान है। अतः कुल खर्च के रूप में 2,32,450 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	2,32,450 /–रूपये
4	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती सुनीता वर्मा के नाम से एक प्लाट संख्या 130 स्कीम ज्योमैक्स गार्डन ए गांव महला तहसील मौजमाबाद मे हो कुल क्षेत्रफल 166.66 वर्गगज होकर दिनांक 14.12.2015 को जरिये रजिस्ट्री 2,30,000 रूपये मे खरीदना ज्ञात हुआ है ,उक्त भूखण्ड की स्टाम्प डयुटी व अन्य खर्च के रूप में 23,980 रूपये खर्च करना ज्ञात हुआ है जिस पर कुल 2,53,980 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	2,53,980 /– रूपये
5	संदिग्ध अधिकारी श्री भोमाराम के नाम एक प्लाट संख्या 208 (न्यू नं 218) मंगलम एस बालाजी सिटी बिन्दायका सिरसी रोड जयपुर दिनांक 15.12.2015 को आईपीआर वर्ष 2024 के अनुसार खरीदना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी का बैक खाते का विवरण प्राप्त होने पर उक्त प्लाट पर संदिग्ध अधिकारी द्वारा इण्डिया बुल्स फाइनेंस कम्पनी से दिनांक 23. 12.2014 को होम लोन के रूप में 21,82,000 रूपये स्वीकृत करवाया जो एसओ के इण्डिया बुल्स फाइनेंस कम्पनी के होम लोन खाता एग्रीमेन्ट नम्बर HHLJA 100211668 व एप्लीकेशन नं 446509 से स्पष्ट है। अतः उक्त प्लाट की कुल अनुमानित कीमत 21,82,000 रूपये तथा रजिस्ट्री, स्टाम्प डयूटी व अन्य खर्च के रूप में लगभग 3,00,000 लाख रूपये व्यय किये जो कुल खर्च के रूप में 24,82,000 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	24,82,000 /–रूपये
6	संदिग्ध अधिकारी श्री भोमाराम व पत्नि श्रीमती सुनीता वर्मा के नाम से एक संयुक्त फ्लेट संख्या 101 प्रथम मंजिल एटमोस्फेयर जो ग्राम झाई तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित होकर कुल क्षेत्रफल 1072 वर्गफीट होकर दिनांक 06.06. 2016 को जरिये रजिस्ट्री 24,46,840 रूपये मे खरीदना ज्ञात हुआ है, उक्त फ्लैट की स्टाम्प डयूटी व अन्य खर्च के रूप मे 1,71,290 रूपये खर्च करना ज्ञात हुआ है, जिस पर कुल 26,18,130 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	26,18,130/– रूपये
7.	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती सुनीता वर्मा के नाम से एक भूखण्ड संख्या 755 स्कीम ज्योमैक्स गार्डन बी गांव महला	3,44,940/– रूपये

	तहसील मौजमाबाद मे स्थित होकर कुल क्षेत्रफल 198.33 वर्गगज होकर डीएलसी दर 1650 रूपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से जिसकी कीमत लगभग 2,70,980 रूपये में खरीदना ज्ञात हुआ है एवं उक्त भूखण्ड की स्टाम्प डयूटी व अन्य खर्च के रूप में 23,980 रूपये खर्च करना ज्ञात हुआ है। उक्त प्लाट का दिनांक 03.02.2017 को पट्टा व्यय राशि 49,980 रूपये है उक्त भूखण्ड पर कुल कीमत 3,44,940 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	
8.	संदिग्ध अधिकारी श्री भोमाराम व पत्नि श्रीमती सुनीता वर्मा के नाम से एक संयुक्त प्लाट संख्या बी–6 / 358 चित्रकूट स्कीम, वैशालीनगर जयपुर में स्थित होकर कुल क्षेत्रफल 270 वर्गमीटर होकर दिनांक 26.04.2021 को जरिये रजिस्ट्री 80,00,000 रूपये मे खरीदना ज्ञात हुआ है,उक्त भूखण्ड की स्टाम्प डयूटी व अन्य खर्चे के रूप मे 7,04,000 रूपये खर्च करना ज्ञात हुआ है, जिस पर कुल 87,04,000 रूपये व्यय करने का अनुमान है। उक्त आवासीय प्लाट में बेसमेन्ट का क्षेत्रफल 2906 (वर्गफीट) x 1200=34,87,200 रूपये, ग्राउण्ड फ्लोर का कुल क्षेत्रफल 2806 (वर्गफीट)x1200=33,67,200 रूपये तथा प्रथम तल का कुल क्षेत्रफल 2806(वर्गफीट) x1200 = 33,67,200 रूपये एवं द्वितीय तल का कुल क्षेत्रफल 1400 (वर्गफीट) x 1200=16,80,000 रूपये निर्माण लागत होना ज्ञात हुआ है जिसका कुल क्षेत्रफल 9918 वर्गफीट में निर्माणाधीन है जिसकी कुल लागत 9918(वर्गफीट) x 1200= 1,19,01,600 रूपये व्यय करने का अनुमान है। उक्त प्लाट के द्वितीय तल पर सोलर सिस्टम लगा हुआ है जिसकी कुल कीमत लगभग 4,00,000 लाख रूपये अनुमानित होकर सम्पूर्ण खर्च के रूप में 2,10,05,600 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	2,10,05,600 / – रूपये
9.	संदिग्ध अधिकारी श्री भोमाराम व पत्नि सुनीता वर्मा के एक्सिस बैक के संयुक्त खाता संख्या 763010100000222 में अब तक शेष बैलेन्स 6,111 रूपये	6,111 / – रूपये
10.	संदिग्ध अधिकारी श्री भोमाराम के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 37570352006 में अब तक शेष बैलेन्स 2,53,627 रूपये	2,53,627 / – रूपये
11	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि सुनीता वर्मा के नाम से श्री त्रिपुर एग्रोहर्बस प्राइवेट लिमिटेड का एचडीएफसी खाता संख्या 50800059855140 मे अब तक कुल बैलेन्स 1,00,000 रूपये	1,00,000 / – रूपये
12	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि सुनीता वर्मा के स्टेट बैक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 36478510295 में अब तक कुल बैलेन्स 7,93,532 रूपये	7,93,532 / – रूपये
13	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि सुनीता वर्मा के आईसीआईसीआई के खाता संख्या 361905500217 में अब तक कुल बैलेन्स 6,62,475 रूपये	6,62,475 / –रूपये
14	संदिग्ध अधिकारी श्री भोमाराम व पत्नि सुनीता वर्मा के बैक ऑफ बडौदा के संयुक्त खाता संख्या 24410100017168 में अब तक शेष बैलेन्स 4,703 रूपये	4,703 / – रूपये
15	संदिग्ध अधिकारी श्री भोमाराम के आईसीआईसीआई,बैक के खाता संख्या 677701019422 में अब तक शेष बैलेन्स 1,47,000	1,47,000 / –रूपये
16	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती सुनीता वर्मा के आईसी आईसीआई बैक खाता संख्या 675601707980 में अब तक शेष	3,000 / – रूपये

	बैलेन्स 3,000 रूपये	
17	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि के नाम से एक वाहन संख्या आरजे 45 सीजे 7221 जो KIA सेल्टोस डी1.5 6AT HTX PLUS मॉडल हो दिनांक 04 दिसम्बर 2019 को रजिस्टर्ड होना अंकित है जिसका मूल्य 21,41,000 रूपये होना अनुमानित है।	21,41,000/— रूपये
	कुल योग	**3,72,46,698 रूपये**

परिशिष्ट ''स''

संदिग्ध अधिकारी श्री भोमाराम पुत्र श्री मुखराम एडिशनल रजिस्ट्रार,एवं प्रबन्ध निदेशक, दी राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक लि. डीसी–1, लालकोठी शॉपिंग सेन्टर, टोंक रोड, सहकारिता विभाग जयपुर की चैक पिरीयड वर्ष 1996 से अब तक प्राप्त आयः–

क्र सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1	संदिग्ध अधिकारी श्री भोमाराम की वर्ष 1996 से अब तक आयकर विवरणिका कटौती के पश्चात अनुमानित कुल शुद्व वैतनिक आय 1,40,64,579 रूपये होने का अनुमान है।	1,40,64,579/— रूपये
2	संदिग्ध अधिकारी श्री भोमाराम की पत्नि श्रीमती सुनीता वर्मा की वर्ष 2007–08 से 2022–23 तक आयकर विवरणिका अनुसार कटौती के पश्चात शुद्व कुल आय 47,07,799/—रूपये होने का अनुमान है।	47,07,799/— रूपये
3	संदिग्ध अधिकारी श्री भोमाराम व पत्नि श्रीमती सुनीता वर्मा के नाम एक प्लाट संख्या बी–6/358 चित्रकूट स्कीम, वैशालीनगर जयपुर में स्थित है। उक्त प्लाट के निर्माण हेतु संदिग्ध अधिकारी व पत्नि सुनीता वर्मा द्वारा आईसीआईसीआई बैंक के एप्लीकेशन नं 7728998081 द्वारा दिनांक 03 मार्च 2021 को 68,44,037 रूपये का होम लोन लेने का अनुमान है।	68,44,037/— रूपये
	कुल योग	2,56,16,415

परिशिष्ट ''द''

संदिग्ध अधिकारी श्री भोमाराम पुत्र श्री मुखराम एडिशनल रजिस्ट्रार,एवं प्रबन्ध निदेशक दी राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक लि. डीसी–1, लालकोठी शॉपिंग सेन्टर, टोंक रोड, सहकारिता विभाग जयपुर की चैक पिरीयड वर्ष 1996 से अब तक किया गया व्ययः–

क्र सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1	संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक पिरीयड वर्ष 1996 से अब तक रसोई एवं असत्यापनिक पर नियमानुसार कुल 42,19,373/ रूपये व्यय करने का अनुमान है।	42,19,373/रूपये
2	संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक अवधि में अपने पुत्र खेतांशु व पुत्री डेताशा को जयश्री पेरीवाल ग्रुप ऑफ स्कुल तथा उच्च शिक्षा नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलोजी दिल्ली व सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे आदि में शिक्षा दिलवाना ज्ञात हुआ है। जिस पर संदिग्ध अधिकारी द्वारा शिक्षा हेतु उच्च शिक्षण संस्थानो में 40,58,720/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	40,58,720/रूपये
3	संदिग्ध अधिकारी द्वारा वाहन संख्या RJ45 CJ 7221 के रख रखाव, ईंधन, मेंटनेंस, बीमा ईत्यादी पर चैक पिरीयड में 4,18,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है	4,18,000/— रूपये
4	संदिग्ध अधिकारी श्री भोमाराम व पत्नि श्रीमती सुनीता के नाम प्लाट नं ए–208 मंगलम्स बालाजी सिटी बिन्दायका सिरसी	8,42,423/— रूपये

	रोड जयपुर पर इण्डिया बुल्स बैंक के लोन खाता एग्रीमेन्ट संख्या HHLJA100211668 से 21,82,033 का लोन दिनांक 10.02.2015 को लिया गया था जो दिनांक 10.04.2019 को पूर्ण हो जिस पर कुल ब्याज के रूप में 8,42,423 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	
5	संदिग्ध अधिकारी भोमाराम व पत्नि श्रीमती सुनीता वर्मा द्वारा प्लाट न बी–6/358 चित्रकूट वैशालीनगर जयपुर पर दिनांक 03 मार्च 2021 को आईसीआईसीआई के संयुक्त होम लोन एप्लीकेशन न 7728998081 द्वारा 68,44,037 रूपये का लोन लिया गया जिस पर दिनांक 05.03.2024 तक कुल ब्याज के रूप में 60,374X15=9,05,610 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	9,05,610/– रूपये
6	संदिग्ध अधिकारी भोमाराम व पत्नि श्रीमती सुनीता वर्मा के एचडीएफसी के होम लोन खाता संख्या 521982786 से दिनांक 15.12.2006 को प्लाट नं डी–6/65 चित्रकूट वैशालीनगर जयपुर पर 20,00,000 रूपये का लोन लिया गया था जिस पर दिनांक 06.09.2017 तक ब्याज के रूप में 18,03,290 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	18,03,290/– रूपये
7	संदिग्ध अधिकारी भोमाराम व पत्नि श्रीमती सुनीता वर्मा के एचडीएफसी के होम लोन खाता संख्या 614234245 से दिनांक 08.01.2015 को प्लाट नं डी–6/65 चित्रकूट वैशालीनगर जयपुर पर 13,00,000 रूपये का लोन लिया गया था जिस पर दिनांक 13.09.2017 तक ब्याज के रूप में 2,68,461 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	2,68,461/– रूपये
8	संदिग्ध अधिकारी भोमाराम व पत्नि श्रीमती सुनीता वर्मा के एचडीएफसी के होम लोन खाता संख्या 619763070 से दिनांक 06.06.2016 को फ्लैट नं 101 प्रथम मंजिल एटमोस्फेयर, प्लाट नं 650 सेज सेटलमेन्ट स्कीम ग्राम झांई सांगानेर जयपुर पर 22,00,000 रूपये का लोन लिया गया था जिस पर दिनांक 25.12.2018 तक ब्याज के रूप में 5,09,300 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	5,09,300/– रूपये
	कुल योग	**1,30,25,177 रूपये**

संदिग्ध अधिकारी श्री भोमाराम द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1996 से अब तक वेतन एवं भत्ते आदि से आयकर एवं अन्य कटौती के पश्चात शुद्व शेष आय 1,40,64,579/–रूपये प्राप्त हुई जो परिशिष्ट "स" मे दर्शाई गई है एवं इनकी पत्नी श्रीमती सुनीता वर्मा द्वारा अपनी आयकर विवरणिका में वैध आय लगभग 47,07,799/–रूपये जो परिशिष्ट "स" मे दर्शाई गई है। अतः संदिग्ध अधिकारी एवं इसकी पत्नी की कुल वैध आय लगभग 1,40,64,579 + 47,07,799= 1,87,72,378/रूपये शुद्व बचत शेष रहती है।

संदिग्ध अधिकारी श्री भोमाराम द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1996 से अब तक प्राप्त वेतन, भत्तों के अनुसार वैध आय 1,40,64,579/रूपये का 1/3 भाग परिवार का अनुमानित रसोई खर्च 42,19,373/ रूपये व्यय होने का अनुमान है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक पीरियड (वर्ष 1996 से अब तक) के दौरान लगभग एक चौपहिया वाहन संख्या आरजे 14 सीजे 7221 जो कि संदिग्ध अधिकारी की पत्नि सुनीता वर्मा के नाम से परिवहन विभाग के डेटा के अनुसार 04 दिसम्बर 2019 को रजिस्टर्ड होना अंकित है एवं उक्त वाहन का मूल्य 21,41,000 रूपये होकर प्रतिवर्ष पेट्रोल,रख–रखा, बीमा, प्रदूषण का कुल खर्च (वर्ष 2019 से अब तक) प्रतिवर्ष औसतन 1,04,500 X 4=4,18,000 रूपये खर्च के रूप मे व्यय किये है इस प्रकार उक्त वाहन खरीदने से

आज दिनांक तक कुल व्यय 4,18,000 रूपये होना प्रतीत होता है। इसी प्रकार संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने पुत्र व पुत्री को शिक्षा दिलवायी गयी है जिसमें लगभग 40,58,720/– रूपये खर्च होने का अनुमान है। इस प्रकार कुल व्यय राशि 86,78,093/रूपये होने का अनुमान हैं, जो परिशिष्ट ''द'' मे दर्शाई गई है।

राजस्व, पंजीयन, विद्युत वितरण निगम, बैंक बेलेंस,एवं भवन निर्माण से संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने सेवाकाल में अर्जित चल–अचल परिसम्पत्तियों पर लगभग 3,72,46,698रूपये निवेश एवं व्यय किया जाना पाया गया है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा सेवाकाल में अपने व अपने परिजनों के नाम अर्जित की गई परिसम्पत्तियों का विवरण परिशिष्ट ''ब'' के रूप में संलग्न है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा रसोई खर्च, बच्चों की शिक्षा व वाहनो के डीजल/पेट्रोल/इन्श्योरेन्स/रख रखाव आदि पर खर्चा 1,30,25,177 रूपये निवेश/व्यय किया जाना पाया गया है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी की कुल परिसम्पतियां एवं व्यय 3,72,46,698 +1,30,25,177 =5,02,71,875 रूपये होना पाया गया हैं।

विभिन्न विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा वैध आय से अधिक अर्जित की गई राशि को स्वयं एवं स्वयं की पत्नी श्रीमती सुनीता वर्मा के नाम से जयपुर एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर आवासीय एवं व्यवसायिक प्रोपर्टी आदि मे निवेश किया है जिसका वर्णन परिशिष्ट ''ब'' मे दर्शाया गया हैं।

क. चैक पिरीयड से पूर्व खरीदी गई/अर्जित की गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्यः– शून्य

ख. चैक पिरीयड के अंत में मौजूद परिसम्पतियों का कुल मूल्य (प्रपत्र 'ब' का योग) –3,72,46,698 /– रूपये

ग. चैक पिरीयड के दौरान खरीदी गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य (ख–क)–3,72,46,698 /– रूपये

घ. चैक पिरीयड के दौरान प्राप्त शुद्व आय की कुल राशि (प्रपत्र 'स' का योग) –2,56,16,415 रूपये

ड. चैक पिरीयड के दौरान किये गये कुल खर्च की राशि (प्रपत्र 'द' का योग) –1,30,25,177 रूपये

च. चैक पिरीयड के दौरान अर्जित कुल परिसम्पत्तियां (ग+ड)– 3,72,46,698 +1,30,25,177 =5,02,71,875 /–रूपये

छ. आय से अधिक सम्पति की राशि (च–घ)– 5,02,71,875 –2,56,16,415 =2,46,55,460/–रूपये

ज. आय से अधिक सम्पति का प्रतिशत (छ/घ X100)– **96.24 प्रतिशत**

इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी श्री भोमाराम एवं इनकी पत्नी श्रीमती सुनीता वर्मा के नाम से अर्जित की गई परिसम्पत्तियों पर व्यय एवं पुत्र तथा पुत्री की शिक्षा एवं वाहनों के रख रखाव पर खर्च में से दोनो पति पत्नी द्वारा अर्जित वैध आय को घटाने पर कुल 5,02,71,875 –2,56,16,415 =2,46,55,460/रूपये (अक्षरे दो करोड छिंयालीस लाख पचपन हजार चार सौ साठ रूपये) की परिसम्पतियां वैध आय से अधिक अर्जित किया जाना गोपनीय सत्यापन से पाया गया है, जो वैध आय से लगभग 96.24 % अधिक है।

अतः संदिग्ध अधिकारी श्री भोमाराम एवं इनकी पत्नी श्रीमती सुनीता वर्मा के विरूद्ध ज्ञात वैध आय से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने का कृत्य अन्तर्गत धारा 13(1)(ई)सपठित धारा 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं धारा 12,13(1)(बी) सपठित धारा 13(2)पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018 के तहत अपराध घटित होना पाया जाता है। संदिग्धों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर उनके निम्न ठिकानों **(1.) डी–6/65 चित्रकुट कॉलोनी, वैशालीनगर जयपुर (2) श्री त्रिपुरा फिलिंग स्टेशन, जोधपुर रोड ,लालावास ,खींवसर नागौर (3) कार्यालय एडिशनल रजिस्ट्रार एवं प्रबंधक निदेशक, दि राजस्थान स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, डीसी–1 लालकोठी शॉपिंग सेन्टर, टोंक रोड जयपुर स्थित कक्ष (4) श्री भोमाराम के ग्राम मांदरी तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू स्थित पैतृक**

मकान की तलाशी लेना आवश्यक है। तलाशी के दौरान कई मूल्यवान परिसम्पत्तियों के दस्तावेज, नकदी, एफ.डी.आर, बैंक लॉकर्स **(एसबीआई बैंक खाता संख्या 36478510295)**, स्वर्ण आभूषण एवं अन्य मूल्यवान परिसम्पत्तियां मिलने की सूत्र ने विश्वस्त सूचना दी है।

अतः संदिग्ध अधिकारी (1.) श्री भोमाराम पुत्र श्री मुखराम, एडिशनल रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, जयपुर एवं प्रबंधक निदेशक, दि राजस्थान स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, डीसी–1 लालकोठी शॉपिंग सेन्टर, टोंक रोड जयपुर राजस्थान निवासी डी–6/65, चित्रकूट कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर (2.) श्रीमती सुनीता वर्मा पत्नि श्री भोमाराम, निवासी डी–6/65, चित्रकूट कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर के विरूद्ध वैध आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने एवं अर्जित करने में सहयोग करने के तथ्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित हैं। अतएव आरोपीगणों के उक्त कृत्य से अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं धारा 12,13(1)(बी) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) का घटित होना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(सरोज धायल)
पुलिस निरीक्षक
भ्रनिब्यूरो,इन्टें,जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती सरोज धायल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे. जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी आईपीसी में वर्णित अपराध घटित होना पाया जाने से अभियुक्त (1.) श्री भोमाराम पुत्र श्री मुखराम, एडिशनल रजिस्ट्रार, हाल प्रबंधक निदेशक, दी राजस्थान स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, डीसी–1 लालकोठी शॉपिंग सेन्टर, टोंक रोड सहकारिता विभाग, जयपुर निवासी डी–6/65, चित्रकूट कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर (2.) श्रीमती सुनीता वर्मा पत्नि श्री भोमाराम, निवासी डी–6/65, चित्रकूट कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर के विरूद्ध अपराध संख्या 114/ 2024 दिनांक 10.06.2024 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर श्रीमान महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार अनुसंधान श्री संदीप सारस्वत अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसआईयू, जयपुर के सुपूर्द किया गया। प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर जारी की गई।

10.6.24

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर

क्रमांकः– 581-85 दिनांक :– 10/06/2024

<u>प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–</u>

1. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलात,क्रम संख्या–1 जयपुर
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय राज0 जयपुर
3. श्रीमान प्रमुख शासन सहकारिता विभाग,राज0 जयपुर
4. श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस– भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर
5. श्री संदीप सारस्वत, अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसआईयू जयपुर

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर